न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम-4 कोटा (राज 0)

पीठासीन अधिकारी — बीना गुप्ता, R.J.S. (DJ Cadre)
आप.विविध(जमानत आवेदन) संख्या — 1341/2026

शाहरूख खान उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल हफीज, उम्र 36 साल, निवासी नेहरू कोलोनी कच्ची बस्ती सरकारी कॉम्पलेक्स के पास, पुलिस थाना नयापुरा कोटा

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य — अप्रार्थी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, एफआईआर नंबर 36/2026 पुलिस थाना नयापुरा कोटा, अपराध अंतर्गत धारा 308(4), 308(6), 126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस.

उपस्थित -
श्री नीकमल यादव, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
अपर लोक अभियोजक-राज्य की ओर से

ः: **आदेश:**ः दिनांक: 11-06-2026

प्रार्थी/अभियुक्त शाहरूख खान उर्फ सोनू की ओर से जरिये अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 श्रीमान सैशन न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया गया, जो विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थनापत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई एवं केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 01-06-2026 को गिरफतार किया गया है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क दिया है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त कोटा जिले का निवासी है, जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। स्वयं परिवादी ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करने व उसका नाम सहवन से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाने व उसके साथ बाबत शपथपत्र पेश किया है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण कासिम खान उर्फ राशिद उर्फ कासिम अब्बासी व दानिश खान का जमानत आवेदन पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थनापत्र का विरोध किया और कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये ।

उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया तथा केसडायरी व अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308(4), 308(6), 126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. में आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी भी शेष होना नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने न्यायालय में शपथपत्र इस आशय का पेश किया है कि शाहरूख खान द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई तथा एफआईआर में उसने शाहरूख खान का नाम सहवन से लोगों के बताये अनुसार दर्ज करवा दिया तथा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत लिये जाने में उस कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01-06-2026 से अभिरक्षा में है। यद्यपि केसडायरी में प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड संलग्न है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके विरूद्ध पूर्व में 17 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 06 प्रकरण निर्णित होना बताया गया है किन्तु पूर्व में प्रकरण दर्ज होना जमानत अस्वीकार किये जाने का आधार नहीं हो सकता। सहअभियुक्तगण कासिम खान उर्फ राशिद उर्फ कासिम अब्बासी व दानिश खान का जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, जिनसे भिन्न प्रार्थी का मामला दर्शित नहीं होता है। अभी प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भाविक प्रतीत होता है ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त शाहरूख खान उर्फ सोनू की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में निर्धारित की जाने वाली प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें व 50 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो यदि प्रार्थी-अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब जमानत पर रिहा कर दिया जाये, आदेश की एक प्रति, विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-4, कोटा

आदेश आज दिनांक 11-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ASHA JAIN
Digitally signed by ASHA JAIN
Date: 2026.06.11 12:57:05 +0530

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-4, कोटा

Authenticated Document